

प्रेस नोट 27-05-2021

1. दिनांक 12.05.2021 को सतीश गुप्ता पुत्र राधा कृष्ण गुप्ता उम्र करीब 45 वर्ष निवासी मो0 हटिया कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव का शव प्राप्त होने की सूचना थाना बांगरमऊ पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि सतीश गुप्ता पिपरमिंट व गल्ले का काम करते थे। परिजनों द्वारा सतीश गुप्ता उपरोक्त को सीएचसी बांगरमऊ ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के सिर पर गोली लगने का निशान पाया गया था। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना बांगरमऊ पर मु0अ0सं0 148/21 धारा 394/302 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था। दिनांक 27.05.2021 को उ0नि0 गौरव कुमार प्रभारी एसओजी/सर्विलांस मय हमराह टीम तथा प्रभारी निरीक्षक बांगरमऊ मुकुल प्रकाश वर्मा मय हमराह टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रमपुरवा रोड से अभियुक्त 1. कीर्तिमान गुप्ता पुत्र श्यामसुन्दर गुप्ता उम्र करीब 24 वर्ष नि0 मोहल्ला दुबियाना कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव 2. विक्की सोनी उर्फ छोटू पुत्र प्रेम कुमार सोनी उम्र करीब 24 वर्ष नि0 न्यू कटरा कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव 3. अक्षय उर्फ रोहित सिंह पुत्र दिनेश सिंह उम्र करीब 25 वर्ष नि0 परशुरामपुर थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव को हिरासत में लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 12.05.2021 को समय करीब 17.45 बजे लूट की योजना बनाते हुए मढ़ापुर रोड पर स्थित बजरंग ट्रेडर्स के ऑफिस में बजरंग ट्रेडर्स के मालिक सतीश गुप्ता पुत्र राधाकृष्ण गुप्ता की हत्या व लूट की घटना कारित की थी। सतीश गुप्ता द्वारा हम तीनों को पहचान लेने के कारण कीर्तिमान गुप्ता ने तमंचे से गोली मारकर सतीश की हत्या कर दी तथा लूट में मिले 12000 रू0 हम तीनों ने आपस में बांट लिये। अभियुक्तों की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा व मृतक का पर्स, आधार कार्ड, डीएल व मोबाइल बरामद किया गया। तीनों अभियुक्तों नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
2. दिनांक 26.05.2021 को समय करीब 1:00 बजे थाना अजगैन क्षेत्रांतर्गत ग्राम खड़ेहरा में 300 रुपये के लेन – देन को लेकर विवाद करते हुये मारपीट हो गयी तथा बचाने आयी वादी की माँ व वादी के पिता के साथ भी मारपीट की गयी। जिसमें वादी के पिता का सर खम्भे से टकरा जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अजगैन पर मु0अ0सं0 151/21 धारा 323/304 भादवि पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुनील पुत्र राम खेलवान निवासी ग्राम खड़ेहरा थाना अजगैन उन्नाव को मुखबिर की सूचना पर टैक्सी स्टैण्ड कानपुर लखनऊ हाईवे कस्बा नवाबगंज से गिरफ्तार किया गया।